पत्रांक / विधि-4(2)/ /2015-16/ 1369 / 1516038 वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर , वाणिज्य कर, उ0प्र0,
(विधि अनुभाग)
दिनांक : सितम्बर 21 2015

समस्त
जोनल एडीशनल कमिश्नर,
ज्वाइण्ट कमिश्नर (कार्य पालक) /(कार्पोरेट सर्किल)
वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश

मेरे द्वारा विभिन्न जोनो के निरीक्षण के समय बकाया से संबंधित अभिलेखों के निरीक्षण पर पाया गया कि आर-3 में काफी पुराने ऐसे मामले दर्शाए जा रहे हैं जिनमें धारा-31/32 का प्रार्थनापत्र प्राप्त होना अथवा फार्मो के लिए समय दिया जाना अंकित किया गया है एवं इस आधार पर वसूली प्रमाण पत्र जारी नहीं किये गये हैं जबकि मांग सृजित हुए पर्याप्त समय व्यतीत हो चुका है। इससे यह स्पष्ट है कि या तो खण्ड स्तर पर इस प्रकार के पुराने मामले निस्तारण हेतु अवशेष हैं अथवा धारा 31/32 के प्रार्थनापत्रों का निस्तारण या फार्म दाखिल किये जाने के प्रार्थनापत्रों का निस्तारण हो चुका है किन्तु आर-3 में उनकी प्रविष्टि न होने के कारण समय पर वसूली प्रमाण पत्र जारी नहीं किये गये हैं। खण्ड के अधिकारियों द्वारा भी इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है व आर-3 रजिस्टर में अध्यावधिक प्रविष्टियॉ नहीं करायी गयी हैं जिसके कारण भारी मात्रा में मांग लम्बित है।

अत: इस संबंध में आप अपने अधीनस्थ अधिकारियों को समुचित निर्देश देते हुए सुनिश्चित करायें कि ऐसे समस्त मामलों में जिनमें मांग सृजित हुए 90 दिन से अधिक का समय व्यतीत हो चुका है किन्तु धारा 31/32 का प्रार्थनापत्र लम्बित है तो ऐसे प्रार्थनापत्रों का निस्तारण दिनांक 30.09.2015 तक कर दिया जाएं तथा यदि फार्मो के लिए समय दिया गया हो तो दाखिल फार्मो के संबंध में यथोचित आदेश पारित करते हुए वसूली योग्य मांग से संबंधित वसूली प्रमाण पत्र दिनांक 30.09.2015 तक जारी कर दिये जाएं।

एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1 तथा ज्वाइण्ट कमिश्नर (कार्य पालक) खण्डों की समीक्षा करते समय इस बिन्दु पर विशेष ध्यान देते हुए उपरोक्त निर्देशानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करायेंगे तथा अपनी समीक्षा टिप्पणी में भी इसका स्पष्ट उल्लेख करेंगे कि खण्ड में सृजित मांग से संबंधित ऐसे कितने प्रार्थनापत्र अवशेष हैं तथा वे किस किस तिथि को प्राप्त हुए हैं। भविष्य में यदि मेरे द्वारा निरीक्षण के समय यह पाया जाता है कि किसी पुराने मामले में धारा 31/32 प्रार्थनापत्र के अवशेष होने अथवा फार्मो के लिए समय दिये जाने के आधार पर वसूली प्रमाण पत्र जारी नहीं हुए हैं तो न, केवल खण्ड के अधिकारी के प्रति वरन् संबंधित ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) के प्रति भी प्रतिकूल दृष्टिकोण अपनाया जायेगा।

उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से समयबद्ध अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

18/09/15

(मुकेश कुमार मेश्राम)
कमिश्नर,वाणिज्यकर,
उत्तर प्रदेश।

पृ0पत्र संख्या व दिनांक उक्त

उक्त की प्रतिलिपि, समस्त एडीशनल कमिश्नर/ज्वाइन्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर मुख्यालय को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने से संबंधित जोन के निरीक्षण के समय कम से कम एक खण्ड के आर-3 का निरीक्षण स्वयं करके उपरोक्त निर्देशों के अनुपालन के संबंध में टिप्पणी अंकित करना सुनिश्चित करें।

(मुकेश कुमार मेश्राम)
कमिश्नर,वाणिज्यकर,
उत्तर प्रदेश।